माननीय राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर

प्र.क्र. पुर्नविलोकन–6531/2018 ग्वालियर/भू.रा.

1. सियाराम पुत्र राजाराम निवासी
   चारशहर का नाका रानीपुरा ग्वालियर।
2. रामबाई पत्नी अयोध्या सिंह निवासी
   घासमण्डी प्रमोद टेंटहाउस, ग्वालियर।

.....आवेदकगण

बनाम

1. रामबाबू
2. लाखन सिंह पुत्रगण राजाराम
3. जोगेन्द्र सिंह पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम बहादुरपुर तहसील ग्वालियर।

.....रेसपो.

4. कमल सिंह
5. प्रकाश पुत्रगण राजाराम निवासी ग्राम बहादुरपुर ग्वालियर।

.....तरतीवी पक्षकार

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.संहिता प्रकरण क्रमांक निगरानी 6159/2018/ग्वालियर/भू–राजस्व आदेश माननीय न्यायालय दिनांक 15–11–18

श्रीमान जी,

आवेदकगण का आवेदन पत्र बावत पुर्नविलोकन आदेश प्रकरण क्रमांक निगरानी 6159/2018/ग्वालियर/भू–राजस्व आदेश माननीय न्यायालय दिनांक 15–11–18 निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 6531/2018/ग्वालियर/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–1–2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.11.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अत: यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	